प्रेषक

श्री हेमचन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्यूनिटी सेन्टर प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक जून 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जाँचोपरांत इस शर्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतन भुगतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा ।

1) द अर्थ पब्लिक स्कूल, श्रीपालपुर, पुनपुन, पटना

विश्वासभाजन,

ह०-
(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(कृपया)

ज्ञापांक 318 पटना, दिनांक 13 जून 2005

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थिति में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है ।

(क) विद्यालय के द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ;

(पी०टी०ओ०)

13/6/05

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सौसायटी के बीच कटुता पैदा हो;

(च) सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप विद्यालयों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।
13/6/05